न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 179/2014 — दर्ज दिनांक 25.06.2014

जीसी एम एस न0 2014/00032 — निर्णय दिनांक 14.07.2022

1. चन्द्रभान पुत्र जुगलाल उम्र 50 वर्ष
2. थानाराम पुत्र जुगलाल उम्र 53 वर्ष
3. विनोद कुमार पुत्र जुगलाल उम्र 48 वर्ष

जाति जाट निवासी बास बलबडा तन खटकड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

आवेदकगण

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र गंगासिंह
2. जयसिंह पुत्र गंगासिंह

जाति राजपूत निवासी करनोली तह फतेहबाद जिला हिसार (हरियाणा)

3. ओमप्रकाश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कालीरावण तहसील अदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं उपपंजियक उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 14.07.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र चन्द्रभान आदि बनाम भगवानसिंह आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदकगण को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। यह कि ग्राम नंगली निर्वाण पटवार हल्का केड की सरहद में खाता संख्या नया 40 खसरा न0 1258, 1259, 1260, 1262, 1263 रकबा क्रमश 0.95, 0.95, 1.19, 1.27, 0.95 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.31 है0 स्थित है। उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा सन 1993 में प्रतिवादी न0 1 व 2 के चाचा के लडके भाईयो से क्रय की थी तथा उस क्रय के बाद प्रतिवादी न0 1 व 2 से वादीगण के अच्छे सम्बन्ध हो गये।प्रतिवादी न0 1 व 2 वादीगण को अपना हिस्सा 1/4 सन 1994–95 वर्ष में 1 बीघा कच्ची मण के हिसाब से फसल काश्त की । क्योकि प्रतिवादी न0 1 व 2 अपने मूल गांव हरियाणा में रहते थे। इसके बाद प्रतिवादी न0 1 व 2 ने वादीगण से उनके हिस्से की भूमि भी लेने का प्रस्ताव किया तो वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 के बीच 8000 रूप्ये कच्ची बीघा के हिसाब से 12 बीघा कच्ची का 96000 में सोदा तय हुआ उक्त सोदा की लिखावट 20.11.1995 में हुई जिसमें वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 व 2 को 60000 रूपये दे दिये तथा दोनो पक्षो के बीच शेष रकम एक वर्ष के अन्दर रजिस्ट्री के बाद दे दी जायेगी। प्रतिवादी न0 1 व 2 को वादीगण को अपने हिस्से का कब्जा सौप दिया। वादीगण वादग्रस्त भूमि को 1/2 हिस्सा काश्त करने लगे। तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 4 लगायत 9 काश्त करते थे। वादीगण व प्रतिवादीगण 4 व 9 के मध्य विवादग्रस्त भूमि का मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है उक्त विभाजन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 4 व 9 मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे है। तथा खसरा न0 1663 रकबा 0.95 है0 में वादी न0 1 चन्द्रभान ने दक्षिण मुखी मकान बनाकर मय परिवार बसा हुआ है। खसरान0 1262 रकबा 1.27 है0 में वादी न0 2 थानाराम ने उत्तरी मुखी मकान बनाकर मय परिवार बसा हुआ है। वादीगण दिनांक 20.11.1995 से वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहा है। प्रतिवादी न0 1 व 2 ने बिना कब्जे के राजस्व रिकार्ड की आड में दिनांक 18.11.2013 को प्रतिवादी न0 3 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया । प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ने राजस्व कर्मचारियो को बाला बाला अपने प्रभाव में ले कर बिना मौके पर जाकर किसी भी तरह की जांच किये नामानतरण दर्ज करवा लिया । उक्त विक्रय पत्र में प्रतिवादी न0 1 व 2 ने उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को 20.11.1995 को दिया था। तब से उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी न0 1 व 2 के पास विक्रय की दिनांक 18.11.2013 को वादग्रस्त भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा काश्त नही था। इस प्रकार प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी न0 3 के पक्ष मे करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानो के विपरित होने के कारण उक्त विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शुन्य दस्तावेज है। जिससे प्रतिवादी न0 3 को कोई हक प्राप्त नही होते। वाद कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 दिनांक 20.01.2014 को वादग्रसत भूमि पर आकर धमकी दी कि प्रतिवादी न0 1 ल0 3 ने प्रतिवादी न0 3 के पक्ष में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया है वह जल्द ही लाठी के बल से बेदखल करेगें। इसलिए यह प्रार्थना पत्र आवदेक की सुरक्षार्थ अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि ग्राम नंगली निर्वाण पटवार हल्का केड की सरहद में खसरा न0 1258, 1259, 1260, 1262, 1263 रकबा क्रमश 0.95, 0.95, 1.19, 1.27 , 0.95 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.31 में आवेदकगण के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे, तथा राजस्व रिकार्ड की आड अनावदेक न0 3 अनावेदक न0 4 के कार्यालय में किसी भी तरह का हस्तानतरण प्रलेख आदि तस्दीक नही करे। तथा मौकेक व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी न0 3 ने जरिये वकिल जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण ने अनावेदकगण 1 व 2 से विवादित भूमि का कोई भी भाग व हिस्सा आवेदकगण ने कभी भी क्रय अनावेदकगण 1 व 2 से नही की थीं। अनावेदकगण 1 ल0 2 की भूमि के 1/4 हिस्से पर आवेदकगण ने कभी भी काश्त नही की है। न कभी की थी न आज की है। तथाकथित दिनांक 20.11.95 को आवेदकगण व अनावेदक न0 1 व 2 के मध्य कोई करार नही हुआ है। तथाकथित नवम्बर 1996 में पहले व बाद में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त 1/4 हिस्सा पर अनावेदक न0 1 व 2 का है। अनावेदक न0 3 द्वारा अनावेदक न0 1 व 2 का 1/4 हिस्सा दिनांक 18.11.2013 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद के पश्चात से कब्जा काश्त अनावेदक न0 32 जबाब देहन्दा का है। आवेदकगण का विवादित भूमि में मात्र संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि में 1/4 हिस्सा है इसके विपरित आवेदकगण का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही है। तथाकथित दिनांक 18.11.2013 का विक्रय पत्र एक वेद्य दस्तावेज है। विक्रय पत्र से सयुकत कब्जे काश्त की भूमि को जरिये नामानतकरण संख्या 114 दिनांक 25.11.2013 को कब्जा काश्त मानकर जबाबदेहन्दा अनावेदक न0 3 के पक्ष में नामानतरकण भरा गया है। जो सही व सत्य विधिपूर्ण है।करार फर्जी व करार अवधिपार बिना क्षेत्राधिकार के इस न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। जबाब देहन्दा अनावेदक न0 3 ने दिनांक 13.06.2014 को माननीय न्यायालय के समक्ष विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर रखा ह। ओमप्रकाश बनाम थानाराम आदि है जो विचाराधीन है। इसके पश्चात आवेदकगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर बाद में प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2014 को पेश किया जो खारिज होने योग्य है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीयागण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि उक्त भूमि में वादी ने 1/4 हिस्सा क्रय किया जिसका कब्जा भी दे दिया है इकरार नाम के जरिये 1/2 हिस्सा में हमारा है। रजिस्ट्री नही करवाई । 12 वर्ष से काबिज रहते हे। तो खातेदार के राईट खत्म हो जाते है। 1996 से कब्जा वादी का है। अनावेदक न0 1, 2 , 3 का कब्जा नही रहा है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपि न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकाम उदयपुरवाटी परिवादी थानाराम आदि मु.नं. 179/19 एवं फोटो प्रति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेज नं0 138 एवं पेज नं0 576 से 581, 2007(2) RRT 1245 पेज नं0 1244–1251, RRT 2009&10 (Supp) पेज नं0 254–257, RRT 2006-07 (Supp) पेज नं0 94 से 99, DNJ 2019(SC) पेज न0 926 से 960, RRT 2019(2) पेज न00 1354 से 1389 व शपथ पत्र रामकरण पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण, शपथ पत्र जगदीश पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण, शपथ पुत्र भादर पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी नंगली निर्वाण पेश किया । बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि 1/4 का वादी खातेदार है। एवं 1/4 हिस्सा मेरा जोडकर 1/2 हिसा वादी अपना बता रहे है। केवल खाली पेपर पर लिखावट है। एग्रीमेंट 1995 का है, एग्रीमेंट की पालना सिविल कोर्ट में होती है जिसकी मियाद ... 2013 में किया हुआ जो मियाद बाहर भी है । हमारे पास रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है।नामांतरण ... से ओमप्रकाश खातेदार हो गया । अतःप्रर्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ... प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:34 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने जरिये विक्रय पत्र भूमि अप्रार्थी नं0 3 को विक्रय कर दी। उक्त भूमि में अप्रार्थी नं0 3 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उक्त विवेचन से प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

14/7/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 14.07.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.05.19 09:55:34 IST
Reason: SelfAttested